

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 666 / 2012

संस्थापन दिनांक 28.08.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—सतेन्द्र उर्फ लला पुत्र मंगलसिंह तौमर, उम्र 27 साल,
 - 2—अभिषेक पुत्र सुरेन्द्रसिंह तौमर, उम्र 19 साल
 - 3—विककी उर्फ विक्रम पुत्र मंगलसिंह तौमर उम्र 19 वर्ष
 - 4—अजीतसिंह पुत्र हुकुमसिंह तौमर उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण ग्राम खनैता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323 / 34, 451, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.06.12 को 22:00 बजे सर्वेश तौमर के घर के सामने ग्राम खनैता में फरियादी सर्वेश तौमर को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सर्वेश तौमर की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी सर्वेश तौमर के निवासगृह में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया तथा फरियादी सर्वेश तौमर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.12 को रात दस बजे फरियादी सर्वेश तौमर अपने दरवाजे पर थी तभी सतेन्द्रसिंह, विककी, अजीत, अभिषेक तौमर आये और पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी सर्वेश तौमर को अश्लील गालियां देकर बोले तू बड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनती है जब उसने

गाली देने से मना किया तो सतेन्द्रसिंह ने उसके डण्डा मारा जो उसके सिर में सामने लगा जिससे चोट लगकर खून निकल आया फिर वह चिल्लाई तो उसका जेठ गजेन्द्रसिंह अ0सा01 आ गये उन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया तथा जाते समय आरोपीगण कह गये थे कि आज तो बच गयी है आइन्दा जान से खतम कर देंगे। तत्पश्चात् फरियादिया सर्वेश तौमर ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 58/12 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.06.12 को 22:00 बजे सर्वेश तौमर के घर के सामने ग्राम खनेता में फरियादिया सर्वेश तौमर को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सर्वेश तौमर की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सर्वेश तौमर के निवासगृह में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?
 4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सर्वेश तौमर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

5. प्रकरण में फरियादी सर्वेश की मृत्यु होने से अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी गजेन्द्र अ0सा01 जिसकी फरियादी सर्वेश भाभी थी, ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। साक्षी राघवेन्द्र अ0सा02 ने भी घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 14.06.12 को सर्वेश ने उन्हें बताया था कि आरोपीगण ने गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और उसकी मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी पुलिस कथन प्र0पी-1 व प्र0पी-2 में दिए जाने से इंकार किया है। अतः घटना के मात्र उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
6. प्रकरण में परीक्षित कराये गये प्रत्यक्ष साक्षी गजेन्द्र अ0सा01 व राघवेन्द्र अ0सा02 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। फरियादी सर्वेश की मृत्यु होने से उसकी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.06.12 को 22:00 बजे सर्वेश तौमर के घर के सामने ग्राम खनेता में फरियादी सर्वेश तौमर को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित

किया तथा फरियादी सर्वेश तौमर की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी सर्वेश तौमर के निवासगृह में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया तथा फरियादी सर्वेश तौमर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

7. परिणामस्वरूप आरोपीगण को धारा 294, 323/34, 451, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)